उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-3032-औ0सं0/2016-26(2)ए0एस0/06 दिनांक : 25 जुलाई, 2016

सर्वोच्च प्राथमिकता
अति महत्वपूर्ण

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

विषयः- वाहय सेवा प्रदाता-आऊट सोर्सिंग-(ठेकेदारों/संविदाकारों) द्वारा उपकेन्द्रों/लाईनों के अनुरक्षण आदि के कार्य में नियोजित संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम कानूनो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश सं0-869-औ0सं0/2016-26(2)ए0एस0/06 दिनांक 12.03.2014, आदेश सं0-2402-औ0सं0/2012-26(2)ए0एस0/06 दिनांक 09.08.2012 एवं आदेश सं0-1009-औ0सं0/2014-26(2)ए0एस0/06 दिनांक 22.03.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाहय सेवा प्रदाता/कार्यदायी संस्था द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान चेक के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा कराये जाने, इन श्रमिकों का दुर्घटना बीमा कराये जाने, संविदा में प्रशिक्षित श्रमिकों को नियोजित करने, सुरक्षा व श्रम कानूनो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, ई0पी0एफ0 की कटौती सुनिश्चित करने, (ठेकेदारों/संविदाकारों) के माध्यम से उपकेन्द्रो/लाइनों के अनुरक्षण हेतु लगाये गये संविदा श्रमिकों का विवरण व सूची समस्त उपकेन्द्रों पर रखने के साथ-साथ यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रश्नगत विषय में समय-समय पर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन न करने वाले कार्मिकों/अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश भी दिये गये है।

कारपोरेशन प्रबन्धन के समक्ष विभिन्न माध्यमो, कर्मचारी संगठनो से यह संज्ञान में आ रहा है कि संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो का अनुपालन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक नही किया जा रहा है, जिसे कारपोरेशन के उच्च प्रबन्धन द्वारा गंभीरता से लिया गया है। इसी क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :-

1. लाइनो व उपकेन्द्रों के अनुरक्षण और परिचालन हेतु वाहय सेवा प्रदाता को कार्य दिये जाने के समय कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट-1970 के अर्न्तगत सम्बन्धित क्षेत्रीय उपश्रमायुक्त कार्यालय में अधीक्षण अभियन्ता (अनुबन्धकर्ता) द्वारा प्रिन्सिपल इम्पलायर का पंजीकरण कराया जाये।
2. संविदा पर श्रमिकों को लिये जाने के सम्बन्ध में टेण्डर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये तथा इसे वेबसाइट पर भी डाला जाये। टेण्डर में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाये कि कुशल व अकुशल श्रमिको को श्रमायुक्त उ0प्र0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी इससे कम धनराशि होने पर टेण्डर पर विचार नही किया जाये। इसके अतिरिक्त संविदाकार का कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन में ई0पी0एफ0 कोड आवंटन प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

3. संविदाकार द्वारा उपश्रमायुक्त कार्यालय से कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट–1970 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में संविदा अवैध समझी जायेगी एवं इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

4. घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना हेतु सभी संविदा श्रमिकों का दुर्घटना बीमा "कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम–1923" के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनी से संविदाकार द्वारा कराया जाये एवं बीमा राशि पर वहन किये गये व्यय को प्रतिमाह के आधार पर संविदाकार द्वारा टेण्डर अभिलेख में कोट किया जाये एवं जिसका भुगतान कारपोरेशन द्वारा संविदाकार को प्रतिमाह बीजक के साथ किया जाये। दुर्घटना बीमा की धनराशि कारपोरेशन द्वारा विद्युत दुर्घटना में मृत्यु/घायल होने के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुरूप होगी।

5. टेण्डर फाइनल करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि ठेकेदार/संविदाकार का पूर्व ट्रैक रिकार्ड क्या है, उसने कहाँ–कहाँ पर कार्य किया है, तथा कितने मजदूर संविदा पर कार्य हेतु नियोजित किये है एवं पूर्व कार्य अवधि में कितने श्रमिकों की दुर्घटनाएं हुई है।

6. संविदाकार द्वारा नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उनके फोटो तथा श्रम कानून के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंस सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

7. संविदाकार के माध्यम से नियोजित श्रमिकों हेतु अनुभवी कार्मिकों एवं आई0टी0आई0 प्रशिक्षु को वरीयता दी जाये।

8. एक खण्ड में एक से अधिक संविदाकारों से अनुबन्ध न किया जाये।

9. संविदाकार द्वारा नियोजित श्रमिकों को नियमित रूप से प्रतिमाह 15 तारीख तक मजदूरी भुगतान चेक के माध्यम से खण्डीय अधिकारी/उसके प्रतिनिधि के समक्ष भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

10. प्रत्येक माह के अन्त में संविदा श्रमिको की मजदूरी के मद में आवश्यक धनराशि का आकलन कर सम्बन्धित खण्ड डिस्काम के लेखा इकाई से फण्ड की मांग करें।

11. संविदा श्रमिको की मजदूरी हेतु मांगी गई धनराशि डिस्काम के लेखा विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से प्रथम सप्ताह में अवमुक्त करा दी जाये जिससे सम्बन्धित खण्ड द्वारा नियमित रूप से संविदाकार को भुगतान हो सके।

12. सेवायोजक एवं श्रमिक का ई0पी0एफ0 अंशदान भविष्यनिधि आयुक्त कार्यालय में जमा किये गये जाने की पुष्टि व प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ही अगले माह का भुगतान संविदाकार को किया जाये।

13. सहकारी समितियों के माध्यम से नियोजित संविदा श्रमिकों के ई0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश सं0–1009–औ0सं0/2014–26(2)ए0एस0/06 दिनांक 22.03.2014 के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

14. वाहय सेवा प्रदाता के माध्यम से विद्युत अनुरक्षण कार्य में लगाये गये संविदा कर्मियों को निदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप अनुरक्षण कार्य के लिये आवश्यक टी0 एण्ड पी0, सुरक्षा उपकरण यथा दस्ताने, प्लायर, सुरक्षा बैल्ट आदि की व्यवस्था संविदाकार द्वारा सुनिश्चित की जाये।

15. वाहय सेवा प्रदाता के कर्मकारों की विद्युतीय दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु भारतीय विद्युत नियमावली–1956 के प्राविधानों के अनुसार वर्क परमिट (Work-Permit) प्रारूप संलग्न है, निर्गत कर अधिकृत कर्मकार के माध्यम से कार्य सम्पादन किया जाना एवं शटडाउन के रूल्स के अनुसार विद्युत लाइन बन्द व चालू कराये जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

S PO

16. संविदाकार के माध्यम से कार्यो पर नियोजित किये गये श्रमिकों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश–2402 दिनांक 09.08.2012 एवं संख्या–2348 दिनांक 03.08.2012 का पालन सुनिश्चित किया जाना एवं निर्धारित प्रारूप में उपकेन्द्रो पर नियोजित किये गये संविदा श्रमिकों का विवरण व सूचना उपलब्ध कराया जाना।

17. संविदा श्रमिकों को फोटो–युक्त पहचान पत्र सम्बन्धित संविदाकार एवं इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रदान किया जाये।

18. संविदाकार को निर्देशित किया जाये कि माह के प्रथम सप्ताह में संविदाकार गत माह का बीजक प्रस्तुत करें। बिल के साथ विगत माह में मजदूरी भुगतान रजिस्टर तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति, ई0पी0एफ0 का चालान एवं ई0सी0आर0 की प्रति प्रस्तुत करे।

19. कारपोरेशन के निर्देशो की अवहेलना करने वाले संविदाकार को ठेका न दिया जाये और उन्हे 'ब्लैकलिस्ट' किया जाये साथ ही सम्बन्धित इकाई के दोषी अधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये तथा डिस्काम की समीक्षा बैठक में भी अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–3032–औ0सं0/2016, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन–निगम, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

SPO

वर्क परमिट (Work-Permit) प्रारूप

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (50)
4–ए, गोखले मार्ग,
33 / 11 के0वी0 उपकेन्द्र .... ।

कार्य करने का प्रार्थना पत्र

समय..दिनांक..
मैं..ने निम्नलिखित कार्य करने की आज्ञा पायी
तथा..से प्रार्थना करता हूँ कि..
....
........................को ठण्डा / निर्जीव कर दिया जाये।

कार्य का विवरण

....
....
....

हस्ताक्षर........................
पद........................
दिनांक........................

कार्य आरम्भ करने की आज्ञा

मैं..श्री..को सूचित करता हूँ कि
उपर्लिखित को दिनांक ....को........................बजे ठण्डा / निर्जीव कर दिया गया है औ
अर्थ कर दिया है।

निम्नलिखित को खोलने की एवं अर्थ करने की कार्यवाही कर दी गई है।
....
....
....
....

इस्ताक्षर........................
पद........................
दिनांक........................

कृ.पृ.उ.

कार्य के इन्चार्ज की घोषणा

मैं..यह घोषणा करता हूँ कि मै कार्य को अच्छी तरह से समझ
जो इस आज्ञा–पत्र के अनुसार किया जाने वाला है। मैनें निरीक्षण द्वारा इस बात की स्वयं जांच कर ली
वह हिस्सा जिस पर कार्य किया जाने वाला है इस आज्ञा पत्र में ठीक घोषित किया गया है।

हस्ताक्षर..

पद..

कार्य समाप्त हो जाने का प्रमाण पत्र

मैं..इस बात की सूचना देता हूँ कि इस आज्ञा पत्र में लिखा हुआ
समाप्त हो गया है तथा मशीन/लाइन से आदमी हटा दिये गये है। निम्न खराबी पायी गयी थी।
....
....
....

हस्ताक्षर..

पद..

समय..

बिजली छोड़े जाने का प्रमाण पत्र

मै निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि मैने इस आज्ञापत्र के अनुसार कार्य का निरीक्षण कर लिया है
मशीन/लाइन से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, जो विद्युत प्रवाह के लिए तैयार है तथा बिजली छोडने की अनुमति देता

हस्ताक्षर..

पद..

समय..

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

e-mail id:< dgmir.uppcl@zmail.com>

6

(61)

दिनांक 09 अगस्त, 2012

संख्या–2402–औ0सं0 / 2012–26(2)ए0एस0 / 06

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल / पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / केस्को,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
मेरठ / वाराणसी / लखनऊ / आगरा / कानपुर।

निदेशक (परिचालन) / (कार्य एवं परियोजना),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
लखनऊ।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण / पारेषण क्षेत्र)

विषयः– बाह्य सेवा प्रदाता (ठेकेदारों / संविदाकारों) के माध्यम से उपकेन्द्रों / लाइनों के अनुरक्षण आदि कार्य पर कार्यरत् संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में विवरण व सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कारपोरेशन द्वारा संविदा कर्मियों के नियोजन के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्देश दिये गये है नवीनतम् आदेश संख्या–1381–औरा–2012–26(2)ए0एस0 / 06 दिनांक 15.05.2012 तथा संख्या–2348–औस–2012–26(2) ए0एस0 / 06 दिनांक 03.08.2012 का संदर्भ ग्रहण करे। कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेशो का निष्ठापूर्वक अनुपालन को न किये जाने की शिकायते विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती रहती है साथ ही साथ प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मियों को नियोजित न किये जाने के फलस्वरूप विद्युत दुर्घटनाओं की सख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसके कारण औद्योगिक अशान्ति के साथ–साथ कानून एवं व्यवस्था की समस्या भी बढती जा रही है यह स्थिति कदापि उचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता अपने अधीन 33 / 11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रो पर वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित किये गये संविदा कार्मिको का संलग्न किये जा रहे प्रारूप में विवरण व सूची तैयार कराकर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को दिनांक 31.08.2012 तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त संविदा कर्मियों के विवरण की सूची का निरीक्षण 31.08.2012 से उच्च अधिकारियों द्वारा किसी भी समय किया जायेगा तथा सत्यापन पर विवरण असत्य, भ्रामक अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियो के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त आदेश को अतिआवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझे तथा अपने अधीन समस्त अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं को उक्त आदेशो से भलीभाँति अवगत कराना सुनिश्चित कराये।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(ए0 पी0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–2402–(1) औस / 2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल ।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित कराये।

(ए0 पी0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

23

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की सूची

33 / 11 के0वी0 ....

क्रम सं0	नाम	पिता का नाम व पता	कार्य स्थल का नाम	पद / श्रेणी	कार्य अवधि (कब से)	मजदूरी	संविदाकार का नाम एवं मो0 नं0	भुगतान की स्थिति माह तक	अनुबंध सं0 एवं तिथि

8

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

e-mail id < dgmir.uppcl@zmail.com>

संख्या–2348–औ०सं० / 2012–26(2)ए०एस० / 06

दिनांक 28 जुलाई, 2012

03.08.2012

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल / पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / केस्को,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
मेरठ / वाराणसी / लखनऊ / आगरा / कानपुर।

निदेशक (परिचालन) / (कार्मिक प्रबन्धन) / (कार्य एवं परियोजना),
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
लखनऊ।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण / पारेषण क्षेत्र)

विषयः– बाह्य सेवा प्रदाता (ठेकेदारों / संविदाकारों) के माध्यम से उपकेन्द्रों / लाइनों के अनुरक्षण आदि के कार्य पर रखे जाने वाले संविदा श्रमिकों की सेवा श्रमिकों की सेवा शर्तो एवं दुर्घटनाओं आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या–1381–औस / 2012–26(2)ए०एस० / 06, दिनांक 15.05.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित संविदा कर्मियों की मजदूरी भुगतान, दुर्घटना बीमा, ई०पी०एफ०, सुरक्षा उपकरणों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश इस अनुरोध के साथ प्रेषित किये गये थे कि इनका निष्ठापूर्वक कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और अनुपालन आख्या से दिनांक 15.07.2012 तक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय को अवगत कराया जाय।

विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आ रहा है कि कारपोरेशन के उक्त आदेश दिनांक 15.05.2012 में निर्दिष्ट आदेशों का क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है एवं इस कारण जहाँ एक ओर श्रम संघों द्वारा औद्योगिक अशान्ति बढ रहीं है वही दूसरी ओर विद्युतीय दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है।

[illegible] अपने डिस्काम के
सम्बन्ध में प्रत्येक खण्डीय अधिशासी अभियन्ता निम्न प्रारूप में अनुपालन आख्या अपने डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से कारपोरेशन मुख्यालय को एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :--

अनुपालन आख्या का प्रारूप

1	खण्ड में बाह्य सेवा प्रदाता फर्म का नाम पता व विवरण?	
2	क्या बाह्य सेवा प्रदाता द्वारा खण्ड में कार्यकर रहे संविदा कर्मियों को एकाउन्ट पेई चेक द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी की उपस्थिति में भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है ?	हॉ/नहीं
3	क्या ई0पी0एफ0 की कटौती की धनराशि सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुक्त के यहाँ नियमित रूप से जमा कराई गयी है ?	हॉ/नहीं
4	क्या खण्ड में बाह्य सेवा प्रदाता द्वारा अनुभवी प्रशिक्षित व्यक्तियों को कार्य पर रखा गया है ?	हॉ/नहीं
5	क्या बाह्य सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कार्मिकों का फोटो सहित विवरण उपलब्ध कराया गया है ?	हॉ/नही
6	क्या संविदा कर्मियों का दुर्घटना बीमा कराया गया है ?	हॉ/नहीं
7	क्या संविदा कर्मियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत किये गये ?	हॉ/नहीं
8	क्या खण्ड में नियोजित संविदा कर्मियों को विद्युतीय अनुरक्षण कार्य हेतु आवश्यक टी0एण्ड पी0 यथा प्लायर, सेफ्टीबेल्ट, दस्ताने, सीढ़ी आदि बाह्य सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये है ?	हॉ/नहीं

उक्त अनुपालन सम्बन्धी सूचनाओं का भौतिक सत्यापन एवं जॉच मुख्यालय द्वारा कराई जायेगी एवं असत्य, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(ए0के0 सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या: 2348 (1) औस/2012--तद्‌दिनांक

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल ।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (वेव), कक्ष सं0--407, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वेवसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करायें।

(ए0के0 सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांक 22 मार्च, 2014

संख्या:–1009–औस / 2014–26(2) / ए0एस0 / 06

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यान्चल / पूर्वान्चल / दक्षिणान्चल / पश्चिमान्चल,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा,
एवं केस्को, कानपुर।

विषय :–<u>बाह्य सेवा प्रदाता (संविदा कार) द्वारा नियोजित कर्मकारों के सम्बन्ध में (ई0पी0एफ0) कर्मचारी भविष्य निधि के अनुपालन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उक्त विषयक प्रकरण में कारपोरेशन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कर्मचारियों की सहकारी समिति द्वारा संविदा कर्मी उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में सूचित किया है कि समिति कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 से मुक्त है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश उपलब्ध कराने का कारपोरेशन से अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के पालन के सम्बन्ध में विदित हो कि जो कर्मचारियों की समितियाँ *सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860* के अन्तर्गत पंजीकृत है उन्हे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 के अन्तर्गत भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में अपनी इकाई का कोड नं0 तथा समिति के संविदा कर्मियों का कर्मचारी भविष्य निधि खाता आवंटित कराया जाना कानूनी बाध्यता है।

जहाँ तक ऐसी सहकारी समितियों का सम्बन्ध है जो *उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम–1965* के अन्तर्गत पंजीकृत है और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 के पालन से मुक्त है, इन सहकारी समितियों को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम–1965 की धारा–63 के अन्तर्गत अपने कर्मकारों हेतु अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी0पी0एफ0) स्थापित करने की कानूनी बाध्यता है इस योजना का विवरण निम्नवत् है:–

63–अंशदायी भविष्य निधि:–(1) जिस सहकारी समिति के पास ऐसी संख्या में या ऐसे वर्ग के कर्मचारी हों, जो नियत किये जायें, वह ऐसे कर्मचारियों के लाभ के लिए एक अंशदायी भविष्य निधि स्थापित करेगी, जिसमें समिति के उप–विधियों के अनुसार कर्मचारियों और समिति द्वारा किये गये सभी अंशदान जमा किये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सहकारी समिति द्वारा स्थापित अंशदायी भविष्य निधि–

(क) समिति के कारोबार के लिए प्रयोग में नहीं लायी जायेगी।
(ख) समिति की परिसम्पत्तियों का भाग नहीं होगी।
(ग) न कुर्क की जा सकेगी और न किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अधीन होगी और

(घ) धारा 41 के अधीन सहकारी समिति को देय किसी ऋण या अदत्त माँग का भुगतान करने के लिए प्रभार या मुजरायी के अधीन न होगी।

सहकारी समितियों की सम्पत्ति और निधियां

विश्लेषण

1--पिछला कानून
2--इस धारा का सार
3--भविष्य निधि जो नियमों के अनुसार नियत की जाए--उपधारा (1)
(क) कम से कम कर्मचारियों की संख्या
(ख) कर्मचारी का योगदान
(ग) समिति का योगदान
(घ) निधि कहां लगाई जा सकती है
(ड) ब्याज
4-- भविष्य निधि व समिति---- उपधारा (2)
5--अपराध
6--रजिस्ट्रार की इस धारा से सम्बन्धित नियम की शक्ति किन अधिकारियो को मिली है

1--पिछला कानून:--पिछले कानून में एसी धारा नहीं है। यह नया विषय इस कानून में है।
2--इस धारा का सार:--इस धारा में यह बताया है कि समिति नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक भविष्य निधि बनायेगी जिनमें कुछ भाग कर्मचारी व कुछ भाग समिति जमा करेगी जैसा उसकके बाईलाज में प्रावधान हो। यह भी बताया है कि यह रूपया समिति की सम्पत्ति नहीं है। इसलिए उसको कारोबार में उपयोग नहीं किया जा सकता, न यह किसी कर्जे में न्यायालय या अधिकरण यह अधिकारी द्वारा कुर्क हो सकेगा। समिति अपने कर्जे में भी इस सम्पत्ति को मुजरा नहीं कर सकती--
3--भविष्य निधि जो नियमों के अनुसार नियत की जाए--उपधारा (1)--इस सम्बन्ध में नियमावली का अध्याय 16 है व नियम 201 से 204 है। इनको 5 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है।

(क) कम से कम कर्मचारियों की संख्या--नियम 201 (1)-- जिस समिति की सेवा में 5 या अधिक कर्मचारी हों, उसके लिए ऐसी निधि की स्थापना आवश्यक है।

(ख) कर्मचारी का योगदान:-- कर्मचारी कम से कम 5% व अधिक से अधिक 15% अपने वेतन का जैसा वह चाहे, जमा कर सकता है, नियम 202 (i)।

(ग) समिति का योगदान--नियम 202 (ii)-- समिति अपना भाग वर्ष के अन्त में जमा करेगी। यह उतना होगा जितना प्रबन्ध कमेटी तय करे, परन्तु 6-1/4% से अधिक बिना रजिस्ट्रार की अनुमति के जमा नहीं करेगी और कर्मचारी के द्वारा जमा किये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। परन्तु यदि इन नियमों के लागू होने से पहले से ही इससे अधिक दर के हिसाब से जमा किया जा रहा था, तब अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जैसे कर्मचारी ने 5% जमा किया है, तो समिति का भाग भी 5% से अधिक नहीं होगा। कम हो सकता है। यदि उसने 10% तक के लिए रजिस्ट्रार की आज्ञा लेनी होगी। इस तरह समिति द्वारा न्यूनतम दर के लिए कोई सीमा नहीं है, अधिकतम दर के लिए है।

...ted by mn/SAMBIDA KARMIK/8

54

(घ) निधि कहां लगाइ जा सकती है:- इसके लिए नियम 204 है। यह निधि केवल ट्रस्ट ऐक्ट की धारा 20 में बतायी प्रतिभूतियां, पोस्ट आफिस, सेविंग्स बैंक या सरकारों द्वारा अन्य बचत योजनाओं में यह रजिस्ट्रार द्वारा मान्य बैंको में जमा होगी।

(ङ) ब्याजः- जो ब्याज भविष्य निधि के विनियोजन से आएगा वह प्रत्येक कर्मचारी के खाते में पिछले वर्ष की समाप्ति पर उसके खाते में जमा राशि के अनुपात से जुड़ जावेगा। उसके खाते में उसके व समिति दोनों द्वारा जमा की गई धनराशि होती है (नियम 203)।

भविष्य निधि के सम्बन्ध में इस अधिनियम, नियम व बाईलाज के अनुसार ही कार्यवाही होंगी, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अनुसार नहीं, क्योंकि सहकारी समिति अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो सहकारी समितियों के लिए लागू है। इसलिए भविष्य निधि कमिश्नर कोई कार्यवाही इस धारा के अन्तर्गत नहीं कर सकते।

4-- भविष्य निधि व समिति-उपधारा (2)- भविष्य निधि किसी समिति की सम्पत्ति नहीं है वह कर्मचारी की अवश्य है, परन्तु सेवा से हटने के पश्चात् ही उसे मिल सकती है। इसलिए उसकी सेवा के दौरान वह उसके द्वारा किसी देय के भुगतान को उपलब्ध नहीं होगी।

5-- अपराधः- यदि प्रबन्ध कमेटी या उसका अधिकारी यह निधि बिना पर्याप्त कारण स्थापित नहीं करता है तो वह धारा 103 (4) के अनुसार अपराध होगा जिसके लिए 250 रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

6-- रजिस्ट्रार की इस धारा से सम्बन्धित नियम की शक्ति किन अधिकरियों को मिली है:- इस धारा से सम्बन्धित केवल नियम 202 है। इसकी भी शक्ति उन्हीं अधिकारियों को मिली है जिन्हें धारा 61 व 62 में बताया है।

अतः बाह्य ऐजेन्सी/सेवा प्रदाता/संविदा कार्य के रूप में समिति के पंजीकरण की वास्तविक स्थित कि समिति किस अधिनियम (सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1860 अथवा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965) में पंजीकृत है के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) अथवा अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी0पी0एफ) का पालन कराया जाना प्रधान नियोजन का विधिक दायित्व है।

कृपया उक्त वस्तुस्थिति से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को भली भाँति अवगत कराते हुये नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

भवदीय,

(ए0पी0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता [illegible] को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

N.K. Mathur
22.3.2014
(नवनीत माथुर)